कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक 480(1)-5/आ0प्र0प्र0(2016–17) दिनांक 08-011-2016

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

शासनादेश संख्या 1200/1–10–2016–12(34)/03 टी0सी0–1 दिनांक 07.11.2016 के कम में जनपद की समस्त तहसीलों में कम्बल आपूर्ति हेतु शासनादेश में वर्णित संस्थाओं से दिनांक 16.11.2016 के पूर्वान्ह 12.00 बजे तक निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

कम्बलों का मानक तथा नियम एवं शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित होंगी, जिन्हे आपूर्तित संस्था को पूर्ण करना होगा। यह किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में एवं जनपद बरेली की वेबसाइट bareilly.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

निविदा प्रपत्र दिनांक 16.11.2016 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) के कार्यालय से नकद 560/– रू0 भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

08.XI.16

(मनोज कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बरेली।

1– प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि उप निदेशक सूचना को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निविदा जनपद के सर्वाधिक प्रसारित होने वाले अर्थात हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला समाचार पत्रों में शासकीय दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

08.XI.16

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बरेली।

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

शासनादेश संख्या 1200/1–10–2016–12(34)/03 टी0सी0–1 दिनांक 07.11.2016 में दिये गये दिशा निर्देश व अन्य शर्ते निम्न प्रकार होगी, जिनका निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

1– सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 08/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12.08.2016 में दिये गये निर्देशों के कम में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से ही कम्बल कय किये जायेंगे।

2– कय किये जाने वाले कम्बलों की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0, वजन कम से कम 2.200 कि0ग्राम तथा कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। कय किये जाने वाले कम्बलों की दर रू0 500/– (रू0 पॉच सौ) से अधिक न हो। कम्बलों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

3– आपूर्तिकर्ता संस्था को प्रत्येक कम्बल पर इस आशय का टैग (सिलाईयुक्त) लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई, वजन एवं ऊन की मात्रा का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी योग्य नही है।

4– निविदा के साथ सैम्पल का कम्बल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। सैम्पल में प्रस्तुत किये गये कम्बल पर संस्था का नाम, उसका **वास्तविक वजन, लम्बाई, चौड़ाई, दर** उसमें उपलब्ध ऊन सम्बन्धी समस्त सूचना का टैग (सिलाईयुक्त) लगा होना चाहिए।

5– सामग्री कय नियमों के अनुसार 2 प्रतिशत जमानत धनराशि (अर्नेस्ट मनी) अर्थात रू0 60,000/– का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा फिक्सड डिपाजिट जो जिलाधिकारी बरेली के पक्ष में देय होगा, जमा किया जायेगा, जिस संस्थाओं के पक्ष में निविदा स्वीकृत नही होगी, उन्हे जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा जिस संस्था की निविदा स्वीकृत होगी उसकी जमानत धनराशि कय कम्बलों के भुगतान तक कार्यालय में सुरक्षित रहेगी।

6– आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा कय आदेश प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर अपने व्यय पर कम्बल की आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।

7– निविदा–प्रपत्र दिनांक 16.11.2016 के पूर्वान्ह 12.00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय कक्ष में रखे टेन्डर बाक्स में डाले जायेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे गठित समिति के सदस्यों द्वारा निविदादाताओं के समक्ष कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में खोले जायेंगे। निविदादाता नियत तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

8– निविदादाताओं को बिना बताये टेण्डर प्रकिया को अस्वीकृत करने का अधिकार कय समिति का रहेगा।

9– समस्त विवादित मामलों का वाद क्षेत्र बरेली रहेगा।

10– निविदा के दो भाग होंगे। प्रथम तकनीकी भाव पत्र एवं दूसरा वित्तीय भावपत्र। तकनीकी भाव पत्र स्वीकृत होने पर ही वित्तीय भावपत्र खोला जायेगा। शेष निविदा जो तकनीकी रूप से उपयुक्त नही होगी, उनके वित्तीय भावपत्र नही खोले जायेंगे तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

11– तकनीकी भाव पत्र तथा वित्तीय भाव पत्र **अलग–अलग लिफाफों** में मुहरबन्द कर लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द करके लिफाफे के ऊपर निविदा सूचना का उल्लेख किया जायेगा।

12– निविदादाता की कोई भी शर्ते स्वीकार नही होगी।

13– निविदा प्रपत्र पर किसी प्रकार कटिंग/सफेदा मान्य नही होगा। यदि कटिंग को पूर्ण हस्ताक्षर तथा मोहर सहित निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तभी मान्य होगा।

14– आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान की जाने वाली धनराशि से ही आय कर, व्यापार कर आदि शासकीय देयों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

15– आपूर्ति करने वाली संस्था को आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों का एक नमूना जिला मुख्यालय तथा एक–एक नमूना तहसील स्तर पर सुरक्षित रखने हेतु देना होगा, जिसे सील–बन्द रखा जायेगा।

16– निविदा खोले जाने के समय निविदादाता को स्वयं उपस्थित रहना होगा अन्यथा उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि को अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित अधिकार पत्र देकर जिसमें प्रतिनिधि का प्रमाणित फोटो हो, वैध आई0डी0 प्रूफ सहित भेजना होगा। अधिकार–पत्र पर निविदादाता के हस्ताक्षर निविदा–प्रपत्र के समान होने चाहिए।

0——————————0

08-XI-16
ADM(F/R)

क्रम संख्या.......................

कम्बल क्रय किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

तकनीकी भाव पत्र

1— निविदादाता का नाम :—

2— फर्म का नामः—

3— पताः—

4— पैन नं0:—

5— पंजीकरण संख्या व प्रभावी तिथि :—

6— मोवाइल नम्बरः—

7— रूपये 60,000/— का सावधि/बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंकर्स चेक संख्या व दिनांक :—

8— टर्न ओवर से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीटः—

9— कार्य का अनुभवः—

दिनांक :

निविदादाता का
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर/संस्थाका
नाम/मोहर
मो0 नं0 :—

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण—पत्र

मैने निविदा विवरण में उल्लिखित कार्य एवं शर्तो को भली भॉति पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा सभी शर्ते नियम एवं उपबन्ध स्वीकार है। यदि मैने तकनीकी भावपत्र की सभी शर्ते पूर्ण नही की है तो मेरा वित्तीय भाव पत्र न खोला जाये।

निविदादाता का
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर/संस्था का
नाम/मोहर
मो0 नं0 :—

08.XI.16

कम्बल क्रय किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

वित्तीय भाव पत्र

सैम्पल हेतु प्रस्तुत कम्बल का विवरणः–

1– मूल्य (प्रति कम्बल):–

2– वजन :–

3– लम्बाई :–

4– चौड़ाई :–

5– कम्बल में ऊन/यार्न का प्रतिशत :–

6– ऊन/यार्न नया है अथवा पुराना :–

7– सैम्पल हेतु प्रस्तुत कम्बल पर संस्था का टैग लगा है अथवा नही:–

निविदादाता का
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर/संस्था का
नाम/मोहर
मो0 नं0:–

08/11/16